EX ... मार्च 1970

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1970/चैत्र 7, 1892

No. 63] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1970/CHAITRA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 28th March 1970*

**G.S.R. 518.**—In the Andhra Pradesh Regional Committee (Amendment) Order, 1970, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 423, dated the 7th March, 1970, at pages 331 to 333 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1), dated the 7th March, 1970—

at page 332, in paragraph 4(3), in new item 10, *omit* the word "not" occurring between "but" and "including".

[No. F. 22/21/69-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

## गृह मंत्रालय

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1970

**सा० का० नि० 518** :—आन्ध्र प्रदेश समिति (संशोधन) आदेश, 1970 में जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 423 तारीख 7 मार्च 1970 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 7 मार्च, 1970 के पृष्ठ 333 से 335 पर प्रकाशित हुआ है :—

पृष्ठ 334 पर, पैरा 4(3) में नई मद 10 में "सम्मिलित" और "है" शब्दों के बीच आने वाला शब्द "नहीं" लुप्त कर दीजिए ।

[सं० एफ० 22/21/69—एस० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970